भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1317
28.07.2025 को उत्तर के लिए

पेड़ों की अवैध कटाई

1317. श्री अरविंद गणपत सावंत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष अवैध रूप से काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वनों और वृक्षावरण का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ज़िम्मेदारी है। देश में वनों और वृक्षावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढाँचे मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम शामिल हैं। वृक्षों की अवैध कटाई के मामले का पता चलते ही उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई की जाती है। संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वृक्षों की अवैध कटाई से संबंधित विवरण रखते हैं।

(ख) और (ग) स्थानीय वन प्राधिकरण अवैध रूप से काटे गए वृक्षों का आकलन करते हैं और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित वन अपराध रजिस्टरों में संबंधित आँकड़े दर्ज किए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के अनुसार, आईएसएफआर-2021 में प्रकाशित आकलन की तुलना में देश में वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः 156.41 वर्ग किलोमीटर और 1289.40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(घ) वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसी भी अवैध/निषिद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्रों में नियमित गश्त करना,

(ii) रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों पर गश्ती शिविरों/अवैध शिकार विरोधी शिविरों, जांच चौकियों की स्थापना करना,

(iii) संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता और उड़न दस्ता दलों की तैनाती, नियमित निरीक्षण आदि करना।

(iv) वन संरक्षण कार्यविधियों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम आदि का क्रियान्वयन करना।

*****